भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2328
07.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

देश में वाहनों पर ई20 पेट्रोल का मूल्यांकन और प्रभाव

2328 **श्री कॉन्स्टैंडीन रविंद्रन:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने ई20 पेट्रोल के संधारणीय प्रयोग के लिए अनिवार्य ई20-अनुकूल मानकों के लागू होने से पहले विनिर्मित वाहनों की तत्परता का आकलन किया है;
(ख) वाहन निर्माता कंपनियों को अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संपर्क में आने वाले रबड़ होज़, सील, गैस्केट और ईंधन-प्रणाली के दूसरे पुर्जों की टिकाऊपन की जांच, उन्हें बदलने की समयसूची और उनकी निगरानी के बारे में क्या निर्देश जारी किए गए हैं;
(ग) क्या वाणिज्यिक तौर पर शुभारंभ के बाद वाहनों के वास्तविक कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए कोई दीर्घकालिक स्वतंत्र प्रमाणीकरण कराया गया है; और
(घ) किफ़ायती पुनःसंयोजन, पुर्जों के उन्नयन और तकनीकी कार्यनिष्पादन आकलन की रिपोर्ट के समय-समय पर सार्वजनिक करने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क), (ग) एवं (घ): नीति आयोग के अधीन 26 दिसंबर, 2020 को गठित अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने एथेनॉल मिश्रण के संदर्भ में वाहनों की अनुकूलता तथा माइलेज/दक्षता संबंधी पहलुओं का व्यापक परीक्षण किया। इस मूल्यांकन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) तथा सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) द्वारा किए गए अनुसंधान का सहयोग प्राप्त था। एआरएआई, एसआईएएम, आईओसीएल, आईआईपी तथा ऑटोमोबिल विनिर्माताओं द्वारा इंजन की मजबूती, वाहन चलाने में आसानी, ठंड में स्टार्ट होने की दक्षता, संक्षारण प्रतिरोध, सामग्री की अनुकूलता, ईंधन प्रणाली की विश्वसनीयता, उत्सर्जन काम करने की क्षमता तथा ईंधन दक्षता से संबंधित व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों एवं क्षेत्रीय परीक्षणों से यह पुष्टि हुई है कि निर्धारित मानकों के अंतर्गत ई-20 का उपयोग

सुरक्षित है। वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा ई-20 के चरणबद्ध कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में ऑटोमोबिल विनिर्माता, घटक आपूर्तिकर्ता, एसआईएएम, एआरएआई, परीक्षण एजेंसियाँ तथा तेल विपणन कंपनियाँ शामिल थीं। ई-20 को ईंधन प्रणाली, इंजन की मजबूती, वाहन चलाने में आसानी, सामग्री की अनुकूलता तथा उत्सर्जन काम करने की क्षमता के सफल प्रमाणीकरण के उपरांत ही लागू किया गया। इन अध्ययनों में निर्धारित प्रचालन परिस्थितियों के अंतर्गत पुराने वाहनों के निष्पादन, मजबूती अथवा सामग्री की अनुकूलता पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑटोमोबिल विनिर्माताओं को इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

*****